न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिह आशिया, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 196 / 2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
मोबताराम उर्फ मोमताराम पुत्र मुकनाराम उम्र 71 वर्ष जाति जाट निवासी सांईयों की ढाणी, होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. कंवराराम पुत्र शेराराम उम्र 40 वर्ष 2. गोमाराम पुत्र तुलछाराम उम्र 45 वर्ष 3. देराजराम पुत्र तुलछाराम उम्र 60 वर्ष 4. रूपाराम पुत्र वालाराम उम्र 65 वर्ष 5. साजनराम पुत्र तुलछाराम उम्र 70 वर्ष 6. गुणेशाराम पुत्र गंगाराम उम्र 60 वर्ष 7. गेरों पत्नि उम्मेदाराम उम्र 75 वर्ष 8. जेती पत्नि गंगाराम उम्र ८० वर्ष 9. जोगाराम पुत्र उम्मेदाराम उम्र 55 वर्ष 10. डूंगराराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 50 वर्ष 11. देदाराम पुत्र उम्मेदाराम उम्र 45 वर्ष 12. पुराराम पुत्र गंगाराम उम्र 55 वर्ष 13. भीयाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 60 वर्ष 14. मेगाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 55 वर्ष 15. भारमलराम पुत्र टीकमाराम उम्र 75 वर्ष 16. हेराजराम पुत्र देवाराम उम्र 65 वर्ष जातियान जाट निवासी डेलुओं की ढाणी, एड सिणधरी तहसील सिणधरी 17. जगुराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 70 वर्ष 18. मालीदेवी पत्नि जमाराम उम्र 70 वर्ष 19. मोहबताराम पुत्र दुर्गाराम उम्र 65 वर्ष 20. सरीफाराम पुत्र जमाराम उम्र 45 वर्ष जातियान ढाढी निवासी डेलुओं की ढाणी, एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 21. पुनमाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 65 वर्ष 22. मेघाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 80 वर्ष जातियान जाट निवासी सांईयों की ढाणी, हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:20 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दीपूसिंह सारण,श्री रामजीवन विशनोई प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

2. श्री पाबूराम बेनीवाल, विप्रार्थी सं.२1 की ओर से उपस्थित।
2. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –28.03.20205

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा खेत मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं.२1 की तरफ से वकील श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब पेश नहीं किया गया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी आई हुई है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर खातेदारी खातेदारी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे। विप्रार्थीगण मात्र प्रार्थी को परेशान कर... से आवेदन को कार्यवाही को अनावश्यक लम्बा करना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:20 IST
Reason: Self Attested

4.विप्रार्थी सं.२1 के वकील की बहस ... प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में सामाताली खातेदारी के खेत में विभाजन करवाया गया, उस विभाजन के संबंध में विप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय में अपील दायर की जा चुकी है, ऐसी स्थिति में इस आवेदन की कार्यवाही को इसी स्तर पर रोका जावे। दायर अपील के निर्णय से वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

ति अथवा खातेदारी की जोत की परिस्थितियों में परिवर्तन संभव है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जावे।

4.हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है जहां तक विप्रार्थी सं. 1 के वकील की बहस के तथ्यों अनुसार उजर एतराज किये जाने का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में किसी प्रकार की अपील किये जाने के दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट हो सके की विवादित भूमि के संबंध में कोई वाद विचाराधीन हो। बिना किसी ठोस दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में किसी आवेदन को कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उनकी खातेदारी खेत की सीमाओं के निर्धारण हेतु नेखमबंदी के आवेदन को अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। शेष विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें, लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा, प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा डेलुओं की ढाणी पटवार हल्का होडू में खसरा संख्या 269/79 रकबा 1.0193 हैक्टेयर खातेदारी भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थीगण मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh
Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.03.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी